हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 सितम्बर, 2015

खण्ड-2, अंक-4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2015 (द्वितीय बैठक)

	पृष्ठ संख्या
ध्यानार्कषण प्रस्ताव-	
जाट समाज को केन्द्र द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण देने संबंधी वक्तव्य	(4) 1
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(4) 2
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा	(4) 12
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4) 12
बैठक का स्थगन	(4) 16
जाट समाज को आरक्षण देने हेतु सुझाव संबंधी	(4) 17

मूल्य- 161

विधान कार्य-

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नo3) बिल, 2015 (4) 28

(ii) दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2015 (4) 29

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा (4) 36

स्थगन प्रस्ताव की सूचना (4) 36

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iii) दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्परेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल, 2015 (4) 37

(iv) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रैगुलेशन ऑफ सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2015 (4) 38

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2015
(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न-पश्चात् 2:30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जाट समाज को केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण देने संबन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री अभय सिंह चौटाला, परमेन्द्र सिंह ढुल, रणबीर गंगवा, सरदार जसविन्द्र सिंह संधु और जाकिर हुसैन विधायकों की तरफ से जाट समाज को आरक्षण देने के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-68 के अधीन अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। अत: इसे मूल रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन मामले की महत्वता को देखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के तहत स्वीकार करता हूं। श्री अभय सिंह चौटाला प्रथम हस्ताक्षरी होने के कारण कृपया अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री रणबीर सिंह गंगवा, श्री जाकिर हुसैन एंव श्री जसविन्द्र सिंह संधु इस महान सदन का ध्यान जाट समाज को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने का एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं उनका कहना है कि देश में जाट समाज को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने का एक अति लोक महत्व का विषय है। कुछ राजनैतिक दलों द्वारा जाट आरक्षण के मुद्दे को ऐसा रूप दिया जा रहा है कि कभी तो इसे राजनैतिक रूप देकर फुटबाल की तरह बनाया गया है तो कभी इसके द्वारा समाज के समुदायों में भाईचारा खत्म करके आपसी द्वेष पैदा कर, समाज को बांटने का प्रयास किया जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जाटों का राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की सिफारिश पर जाटों को आरक्षण दे दिया गया। चुनाव से पहले जल्दबाजी में लिए गए निर्णय को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो केन्द्रीय सरकार के ढीलेपन एंव लचर बचाव के रवैया के कारण, न्यायालय ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया। जाट आरक्षण खत्म होने से हरियाणा में बिश्नोई, जाट, जटसिख, त्यागी व रोड जाति के लोग भी प्रभावित हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से जाट समाज को प्रदेश की बीसी श्रेणी में दिया जा रहा लाभ भी प्रभावित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जाट आरक्षण को रद्द करने के लिए यह तर्क भी दिया है कि नेशनल कमीशन ऑफ़ बैकवर्ड क्लासिस (NCBC) द्वारा यह कहा गया है कि आरक्षण बिना किसी प्रमाणिक सर्वेक्षण के दिया गया है। अब जबकि नई जनगणना के आंकड़े आ चुके हैं, और सभी जातियों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े भी उपलब्ध हैं, तो आवश्यक है कि उनके आधार पर इस मुद्दे पर पुन: विचार किया जाए। इण्डियन नेशनल

[श्री अभय सिंह चौटाला]

लोकदल पार्टी का मानना है कि जाट आज भी छोटे किसान होने के कारण अति पिछड़े हुए हैं और उन्हें अन्य विकसित समूहों के बराबर आने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर हरियाणा सरकार उचित कदम उठाए और केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया जाए कि जाट आरक्षण पर पुनर्विचार कर इसे लागू किया जाए।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अभय सिंह चौटाला, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री रणबीर सिंह गंगवा, श्री जाकिर हुसैन व सरदार जसविन्द्र सिंह संधू द्वारा जाट आरक्षण के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जिसको आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित कर दिया था, उसके बारे में मैं सरकार की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना क्रमांक 59SW(1)-2013, दिनांक 24.1.2013 (पताका ए) के माध्यम से हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित समुदाय के लोगों को विशेष पिछड़ा वर्ग में घोषित किया है :-

1 बिश्नोई, 2 जाट, 3 जट सिख, 4 रोड, 5 त्यागी

पिछड़ा वर्ग को पहले से ही उपलब्ध 27 प्रतिशत आरक्षण को छेड़े बिना ऊपर वर्णित वर्गों के लिए भी सरकार/सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों में नौकरी के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। विशेष पिछड़ा वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए मानदंड वही होंगे, जो राज्य के पिछड़ा वर्गों के लिए लागू हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर राज्य सरकार ने दिनांक 15-7-2014 (पताका ख) के दिशानिर्देशों के माध्यम से विशेष पिछड़ा वर्ग को श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 की सीधी भर्ती में 6 प्रतिशत तथा श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों में 10 प्रतिशत एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया। श्रेणी-1 और श्रेणी-2 में रोस्टर प्वाइंट 20-40-60-80 और 97 निर्धारित किये गये और श्रेणी-3 और श्रेणी-4 में रोस्टर प्वाइंट 07-17-29-39-48-59-69-78-88 और 97 निर्धारित किये गये। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना क्रमांक 20012/12/2009-BC-II, दिनांक 4.3.2014 के माध्यम से राज्य में जाट समुदाय को केन्द्र सरकार की ओ.बी.सी. सूची में शामिल किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम सिंह व अन्य बनाम भारतीय संघ (पताका-ग) शीर्षक की याचिका (सिविल) क्रमांक 274/2014 में दिनांक 17.3.2015 को दिये गये निर्णय के माध्यम से इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें देखने को यह आया है कि जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 4-3-2014 को इसकी सिफारिश की गई और 5-3-2014 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। इसलिए यह बहुत जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सारांश निम्न प्रकार से है :-

जहाँ तक हरियाणा का संबंध है तो ऐसा प्रतीत होता है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को इसका आधार माना गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भी जाटों को ओ.बी.सी. सूची में शामिल करने के लिए शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि जाट गुज्जरों से पिछड़े हैं जिन्हें केन्द्र की ओ.बी.सी. सूची में पहले से ही शामिल किया जा चुका है। इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार माना गया है और राजस्थान के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। यद्यपि मध्यप्रदेश, गुजरात और बिहार को भी रद्द अधिसूचना के आधार पर केन्द्र की ओ.बी.सी. सूची में शामिल किया गया है, लेकिन 2 मार्च, 2014 को मंत्रिमण्डल की कार्य सूची में इन राज्यों के मामलों पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया। हालांकि मंत्रिमण्डल से प्रत्येक राज्य के लिए अपनी राय को रिकॉर्ड में रखने की अपेक्षा नहीं की जाती परन्तु जब ऐसा कुछ राज्यों के लिए किया जाता है, अन्य राज्यों के किसी उल्लेख का न होना इसी निष्कर्ष का मजबूत आधार होगा कि जिन राज्यों का कार्य सूची में उल्लेख नहीं मिला, वास्तव में मंत्रिमण्डल द्वारा उन पर विचार ही नहीं किया गया। उक्त वर्णित विभिन्न कारणों से, हम केन्द्र सरकार द्वारा दी गई इस राय से सहमत नहीं हो सकते कि इन 9 राज्यों में जाट एक पिछड़ा समुदाय है और संबंधित राज्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल होने के लिए पात्र है। इसके विपरीत एन.सी.बी.सी. द्वारा किया गया विचार अच्छे स्वीकार्य कारणों के पर्याप्त रूप से पुष्ट है जो केन्द्र सरकार द्वारा आगे की परिणामी कार्यवाही के लिए एक मजबूत एवं उचित आधार प्रदान करता है। उक्त परिस्थिति में हम दिनांक 4-3-2014 की अधिसूचना को उचित नहीं मान सकते। तदानुसार बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के जाटों को केन्द्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने वाली उक्त अधिसूचना क्रमांक- 63 दिनांक 04.3.2014 खारिज की जाती है। तदानुसार याचिका को स्वीकृत किया जाता है। हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने जाट समुदाय की भावना का आदर करते हुए इस फैसले की रिव्यू एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी लेकिन सभी कोशिश करने के बाद भी 22 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका रद्द कर दी। अब भारत सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लकरीबन बन्द हो गया है। लेकिन समुदाय की भावना का आदर करते हुए हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस मामले में जरूर कदम उठाएगी। इण्डियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने आरक्षण के बारे में यह भी कहा था कि आरक्षण के जो आंकड़े दिये गये हैं उनका नया सर्वे कराकर पुराने आंकड़ों में कांग्रेस सरकार के समय में जो कमियाँ छोड़ दी हैं उनको दूर करते हुए आगे कार्यवाही की जाए। कुछ निजी याचिकाकर्ताओं ने भी माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं दायर करके राज्य सरकार की उन अधिसूचनाओं को चुनौती दी है जिनमें जाट समुदाय को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 9132 ऑफ 2015 शीर्षक वेद प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में दिनांक 27.7.2015 के माध्यम से जारी आदेश में हरियाणा को दिनांक 24.1.2013 और 28.2.2013 की रद्द अधिसूचनाओं के आधार पर सरकारी सेवाओं में कोई भीकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने से रोक दिया है। दिनांक 27.7.2015 के आदेशानुसार इस मामले में अब एक साल के अन्दर-अन्दर दिनांक 27.7.2016 से नियमित सुनवाई होगी। दिनांक 27.7.2015 के आदेशानुसार विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर हाई

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

कोर्ट ने केवल रोक लगाई है, उसे रद्द नहीं किया गया। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि हम इसके बारे में अपील में जाएंगे। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का रिप्लाई है लेकिन अभी तक पटल पर रिप्लाई की कॉपी नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : यह भी तो रिप्लाई ही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो रिप्लाई है वह पहले सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए लेकिन अब तक रिप्लाई की कॉपी नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि लिखित में ही रिप्लाई आए। यह चर्चा मौखिक भी कर सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई की कॉपी सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि हर सदस्य उसको अच्छी तरह से पढ़ सके और अगर उस रिप्लाई में कोई त्रुटि हो तो उसको दूर किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : रूल-73 के तहत कोई भी सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अति आवश्यक लोक महत्व के किसी भी विषय के प्रति किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और मंत्री संक्षिप्त बयान दे सकता है या बाद में किसी समय या तिथि को बयान के लिए समय मांग सकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें रिप्लाई आती है इसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा होता है कि रिप्लाई साथ लगाई जा रही है। कालिंग अटैंशन नोटिस जब दिया जाता है और जब उसको मंजूर कर लिया जाता है तो उसकी रिप्लाई उसके साथ लगाकर दी जाती है। आज तक पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिप्लाई नहीं आई और रिप्लाई देने के लिए ए.जी. साहब को बुलाना पड़ा।

एडवोकेट जनरल (श्री बलदेव राज महाजन) : अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं इस विषय के बारे में रख रहा हूँ उसके बाद लिखित रिप्लाई की जो जरूरत है वह शायद ना पड़े। स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ regarding the subject matter of adjournment mention which has been converted into the Calling Attention Motion, I want to bring to the notice of your good self, and through you, of the August House some facts regarding the contentious issue of reservation. The Calling Attention Motion relates to inclusion of Jat Community in the Central List of Other Backward Classes vide GOI Notification dated 4/3/2014 and the said Notification being quashed by the Hon'ble Supreme Court of India vide judgement dated 17/3/2015.

I would bring to notice of this august House that vide Notification dated 8th April, 2011, Haryana Government has re-constituted Haryana Backward Classes Commission headed by Justice K.C. Gupta Retd., which submitted report on

12/12/2012 recommending inclusion of five Castes namely, Jat, Jat Sikh, Bishnoi, Ror and Tyagi in other Backward Classes besides other recommendations. On the basis of recommendations of Justice K.C. Gupta Commission, the Haryana Government, vide DO No. 900 SW(1)dated 14/12/2012 of the Chief Secretary to Government of Haryana, requested the Central Government for inclusion of these five Castes namely, Jat, Jat Sikh, Bishnoi, Ror and Tyagi in the Central List of OBCs for Haryana State. The Central Government, vide GOI Notification dated 4/3/2014 included Jat Community in the Central List of OBCs at Sr. No. 75 through National Commission for Backward Classes of UPA Government had opposed the inclusion of Jats in the Central List of OBCs. That Notification has been quashed by the Hon'ble Supreme Court of India.

I would also bring to the notice of august House that on the basis of the said report of justice K.C. Gupta Commission, the Govt. of Haryana also vide Notification No. 59SW(1)-2013 dated 24.01.2013, declared the five Castes, Jat, Jat Sikh, Ror, Tyagi and Bishnoi as Special Backward Classes with immediate effect and decided to provide 10 percent reservation in employment in group 'C' & 'D' posts and 5 percent in group 'A' & 'B' posts and also 10 percent in admission in educational institutions for these Special Backward Classes in exclusion to the already notified 27 percent reservation to the Backward Classes.

I would further bring to the notice of the august House through you that inclusion of the five Castes including Jats in State List of Special Backward Classes by the Haryana Government and further grant of reservation to those Castes in services and admission in educational Institutions, is subject matter of challenge by various individuals and associations in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court. Details of such cases pending in the Hon'ble High Court are as under:-

Sr. No.	CWP. No.	First Date of Hearing	Status
1.	2708 of 2013 Shikha Vs State of Haryana	1st 22.03.2013	Reply has been filed on 13.05.2013
2.	15768 of 2013 Jitender Aggarwal Vs. State of Haryana and others	1st 31.10.2013	Reply has been filed on 25.11.2013
3.	2441 of 2014 Murari Lal Gupta Vs State of Haryana	1st 25.03.2014	Reply has been filed on 13.05.2014
4.	6076 of 2014 Neeraj Attri Vs State of Haryana	1st 21.07.2014	Reply has been filed on 18.07.2014
5.	13150 of 2014 Shoshit Samaj Haryana Vs State of Haryana	1st 04/11/2014	Reply has been filed on 03.11.2014
6.	9132 of 2015 Ved Parkash Vs State of Haryana	1st 27.07.2015	Reply has been filed on 24.07.2014

[श्री बलदेव राज महाजन]

The Government of Haryana submitted its written statements in the Hon'ble Court. The Hon'ble High Court vide its order dated 27.07.2015 has admitted the Writ Petitions and as and interim measure restrained the State Government to give employment or admission in educational institutios on the basis of notification dated 24/1/2013 and instructions dated 28/2/2013. The order dated 27/7/2015 passed by the Hon'ble High Court in this respect is as under:-

> **"We restrain the State of Haryana to give any employment in the Government Services and admission is educational institution on the basis of the impugned notifications".**

Thus the matter regarding inclusion of the five Castes namely Jat, Jat Sikh, Ror, Bishnoi and Tyagi in the State List of Backward Classes treating them as Special Backward Classes on basis of Justice K.C. Gupta Commission is still subjudice before the Hon'ble High Court. The State Government is in the process of filing Special Leave Petition against the stay order dated 27/7/2015 granted by the Hon'ble High Court before the Hon'ble Supreme Court of India.

As the order dated 27.07.2015 has only restrained the State and not quashed the reservations to Special Backward Classes, the State Government has issued guidelines for admissions in Educational Institutions and recruitments in the State. The Salient points of this are:-

(i) For the posts which have been advertised and application forms have also been received, the candidates who have applied within Special Backward Classes category may be issued provisional admit cards with the condition that their final result will be declared after final outcome of the pending write petitions in the Hon'ble High Court. For this purpose corrigendum may be given with reference to their earlier advertisements by HPSC/HSSC and other quarters concerned making recruitment. These candidates, except those who have availed the benefit of age relaxation, shall be considered against general vacancies if successful in the examination and within the merit of general candidates in case the final judicial verdict quashes the impugned notification.

In case the writ is not decided till the recruitment process is over and result is ready to be declared then the result of the Special Backward Classes Candidates who have availed the benefit of age and fee relaxation and have competed in general category on merit shall be with held till the decision of the writ petition. In case of Special Backward Classes reservation notification is quashed then these Special Backward Classes candidates result will be null and void as they become ineligible on grounds of Age.

In the case of those Special Backward Classes candidates, who competed without benefit of age relaxation, against general vacancies and succeeded on merit, there is no hitch declaring the result.

In case the writ/decision upholds the Special Backward Classes notification, then the SBC candidates, whether with/without benefit of age relaxation shall be selected as per the same ratio that other reserved category candidates are selected i.e. candidates who succeed in general merit be counted in general/open vacancies and the others against the Special Backward Classes quota, as is the legally settled procedure for SC/ST/OBC vacancies also.

(ii) For those posts which are not yet advertised, it is decided that revised requisition be sought from the Departments by retaining/with-holding the number of posts meant for Special Backward Classes as per roster till the final decision of Hon'ble High Court. These can be re-advertised as per the judgment/final decision as a backlog OR for general candidates, as the case may be.

(iii) In case of admissions of Special Backward Classes in Universities/ Colleges, the State Government had decided that 10% seats meant for the Special Backward Classes may be kept vacant for the time being during the counseling process as an interim measure to comply with the directions of the Hon'ble High Court. It is further decided that after filing up of 90% of the seats in the institutions, the Administrative Departments may send the case to the Government for re-visiting the situation."

In the above context, I would draw the attention of the House to Rule 68 Clause (xi) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Haryana Legislative Assembly which provides as under:-

"(xi) the motion shall not deal with any matter which is under adudication by a Court of law."

This Rule clearly provides that the Call Attention Motion shall not deal with any matter, which is under adjudication by a Court of Law.

I would also draw attention of the House to Rule 174 Clauses (c) and (d) of the Conduct of Business Rules, which reads as under:-

"(c) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government;

(d) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdication in any part of India."

Clause (d) again reiterates that any resolution to be admissible should not relate to any matter which is under adjudication by a Court of law having jurisdiction in any part of India. Clause (c) further states that the resolution shall not relate to any matter, which is not primarily the concern of the State Government. No resolution is even permissible in respect of any matter, which is sub judice before a Court of Law.

[श्री बलदेव राज महाजन]

The Writ Petitions before the Hon'ble Supreme Court of India against inclusion of Jat Community in Central List of OBC for the State of Haryana and other States vide notification dated 4/3/2014 were defended by the Central Government. Even the State of Haryana also filed reply defending these petitions. In CWP No.274 of 2014 Ram & Others Vs. Union of India and the Hon'ble Apex Court quashed the inclusion of Jats in the Central list of OBC for Haryana State along with various other states vide its order dated 17.03.2015. This case was in fact defended by the team of Lawyers, in fact, led by the Attorney General of India, on behalf of the Central Government as well as State Government. In fact, a Review Petition was also filed which was finalized by the team of Lawyers under the leadership of Attorney General of India. Though the Supreme Court has not accepted the Review Petition also and has turned down the same on 22.07.2015. The case was defended on behalf of the Central Government as well as by the State Government. But because of the deficiencies pointed by the Court, the Supreme Court has not accepted this reservation. In fact, at that stage, because of some deficiencies in the Report, that Report was opposed by the National Backward Classes Commission also.

So, this Calling Attention Motion deals with the sensitive subject of inclusion of Jat Community in Central List of Other Backward Classes which lies in the domain of Central Government and not of the State Government. Furthermore, the matter is subjudice before the Hon'ble High Court with respect to inclusion of this Class as a Special Backward Classes and the Government of Haryana is committed to defend these reservations in the Hon'ble High Court and is already in the process of filing a Special Leave Petition in the Hon'ble Supreme Court of India against the interim stay order of the Hon'ble High Court dated 27.7.2015 and the matter itself has been ordered to be listed within one year and therefore it would be prudent to await the final outcome of the matter that is sub judice otherwise it may harm the interest of Jat Community. In the interest of even Jat Community, this matter should be deferred and should not be taken into consideration because the matter is pending before the Hon'ble High Court. Since, both the State reservation as well as the centre reservation made on the basis of recommendations of Justice K.C. Gupta's Report but the distinguishing fact of both the reservations is, the Central Government's inclusion was in the other Backward Classes. But the State Government has, in fact, made it a special backward classes for these categories and both being distinguishing facts being defended before the Hon'ble High Court. So any discussion, at this stage, when the matter is still sub judice before the Hon'ble High Court, will prejudice, in fact, the rights of the Communities for which the reservation is being considered. So, at this stage, my submission is, in view of these specific rules that where the matters are sub judice before any court, in fact, no resolution should be passed in that respect and no motion should be accepted and the matter, in fact, not be further discussed till the matter is finally adjudicated by the Hon'ble Court.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I would like to draw your kind attention to Rule 73(i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, which reads as under:-

> "A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

Therefore, I want to ask in what capacity the Hon'ble Advocate General had made the statement either as a Minister or as a Member?

Baldev Raj Mahajan : Advocate General of the State is entitled to participate in any discussion in the House and is entitled to advice the House that matter being sub-judice, same should not be taken into consideration. That is my advice that the matter being sub-judice, as an Advocate General of the State, and neither any motion should be accepted nor any resolution should be passed.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, Hon'ble Advocate General can participate in the discussion but a Minister has to reply.

15.00 बजे **शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :** स्पीकर सर, कई बार सदन में ऑनरेबल एडवोकेट जनरल को बुलाया जाता है। विपक्ष के नेता और उनके साथियों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जो आपने कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट किया और उस पर डिस्कशन के लिए आपने समय भी निर्धारित किया। हमारे मंत्रिमण्डल के माननीय मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने उसके ऊपर एक स्टेटमैंट दे दी। हमारी सरकार द्वारा अपने महाधिवक्ता को यहां पर इसलिए बुलाया गया है ताकि वे माननीय मंत्री महोदय के इस मामले में जवाब देने के बाद इस केस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में जो कानून की स्थिति है उसको माननीय सदन के समक्ष स्पष्ट कर सकें। इसके साथ ही साथ मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा के महाधिवक्ता भी इस सदन का हिस्सा हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैंने जाट आरक्षण के विषय पर आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसे आपने कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया। आपने उस पर चर्चा करवाई और मुझे उस पर सप्लीमैंट्री पूछने के लिए भी समय दिया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सर, जैसा कि अभी पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर ने बताया कि माननीय मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने इस विषय पर अपनी स्टेटमैंट दे दी। स्टेटमैंट के बाद हमने जिस-जिस चीज़ की डिमाण्ड की थी कि इस सम्बंध में सरकार का रिप्लाई हमारे डैस्क पर होना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जैसा कि आपको बताया गया कि यह मामला माननीय कोर्ट के अधीन विचाराधीन है इसलिए इस बारे में यहां पर कोई डिसकशन नहीं हो सकती। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि ठीक है कि यह मामला सब-जूडिस है लेकिन अगर इस केस को स्ट्रैंथन करने के लिए माननीय

[डॉ. रघुवीर सिंह कादियान]

सदस्यों की तरफ से कोई भी ऐडीशनल फैक्ट्स यहां पर आ जाते हैं then what is the harm. It can be discussed in the House. We are not going against the judiciary. We are not going against the decision of the Hon'ble Court. While the decision is pending in the Hon'ble Court, a discussion can be made in this House ताकि कोई ऐसे फैक्ट्स आ जाएं जो इस केस को मज़बूत करें। अगर इनकी इस केस के बारे में सिनसियरटी है तो उसके बारे में ज़रूर विचार किया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस केस को मज़बूत करने के लिए अगर आपके पास कुछ ठोस फैक्ट्स हैं तो आप उन्हें मुझे लिखित रूप में दे दें ताकि उनका सही समय और सही जगह पर उपयोग किया जा सके।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, लिखित में देने के बजाय जिस प्रकार से इस केस के बारे में जो-जो बातें महाधिवक्ता जी ने सदन के सामने बताई कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो अखबार पढ़ता है और कोई भी वह व्यक्ति जो इस केस से सम्बंध रखता है उस हर व्यक्ति को इस बात का पता है कि जाट आरक्षण के मामले में के.सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट से लेकर अब तक कोर्टस में किस तरह के ऑर्डर्ज़ हुए हैं, किन-किन लोगों ने कोर्टस के अंदर जाकर इस केस की पैरवी की और किन-किन लोगों ने इसका विरोध किया। यह सारे का सारा ब्यौरा डेटवाईज़ प्रत्येक व्यक्ति के पास है। वही सारी की सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बातों का तो सबको पता है। जो बात हमने आपके सामने रखी है वह सिर्फ एक ही बात हम आपके सामने लेकर आये हैं कि आज इस इश्यू को लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग-अलग तरह की ब्यानबाज़ी हो रही है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय महाधिवक्ता ने बताया कि यह एक सब-जूडिस मामला है। इसलिए यह मामला इस हाऊस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इसके बाद यहां पर इस बारे में डिस्कसन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जैसा कि सभी माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि जो मामला सब-जूडिस है अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है उसको विधान सभा टेक-अप नहीं कर सकती लेकिन अगर कैबिनेट कोई फैसला लेती है और फैसला लेकर कैबिनेट यह कहती है कि जो हरियाणा प्रदेश का मतदाता है वह पंचायत के चुनावों में तभी हिस्सा ले सकता है अगर वह आठवीं और दसवीं कक्षा पास होगा। अगर कोर्ट कैबिनेट के इस फैसले पर रोक लगा देती है तो फिर सरकार की तरफ से कोर्ट में जाकर यह एफिडेविट दिया जाता है कि हम इस इश्यू को विधान सभा में लेकर आयेंगे। इस मामले पर भी कोर्ट ने रोक लगा रखी है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम इस इश्यू को विधान सभा में लेकर आयेंगे और इस आशय का एक विधेयक पास करके इसको कानूनी रूप दे देंगे। हम भी इस मामले में कानूनी रूप देने की ही बात कर रहे हैं कि इस इश्यू के ऊपर भी विधान सभा में डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद इस पर एक विधेयक लाया जाये और उस विधेयक को सब लोगों को पास करना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय नेता जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के ऊपर जो ऑर्डीनेंस था उसके ऊपर रोक लगाई है पंचायत चुनाव के बिल के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी महाधिवक्ता, हरियाणा श्रीमान् बलदेव महाजन के आभारी हैं। We are not above the Constitution. We are not above the Hon'ble Supreme Court. जाट बंधुओं के आरक्षण के हित के बारे में यह बात अभी नहीं है। (विघ्न) श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद भारत सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की अपील डाली है। (विघ्न) श्रीमान् हुड्डा साहब, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर बैठे हैं। उन्होंने 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में शासन चलाया है। अपने शासन के 9 साल के दौरान उन्हें जाट आरक्षण के बारे में कोई चिंता नहीं की है। 03 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी से ये भोले-भाले किसानों का मिलाकर लाये और 04 तारीख को चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी बातें हैं वे पूरे हरियाणा के लोगों के सामने जानी ही चाहिएं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह ठीक बात कही है कि जाट आरक्षण के मुद्दे पर कौन किस के पक्ष में था यह बात स्पष्ट होनी ही चाहिए। (विघ्न) स्पीकर सर, 10 साल की खुराफातों की बात यहां पर की जायेगी। सत्ता पक्ष के लोगों को यहां पर पिछले 10 साल की बातों का जिक्र करने से रोका जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जाट बंधुओं को बिना किसी शोर-शराबे के उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया, मध्य प्रदेश में आरक्षण दिया, दिल्ली में आरक्षण दिया और राजस्थान में भी आरक्षण दिया। हरियाणा में उस समय जाट आरक्षण लागू नहीं हुआ। मान्यवर स्पीकर सर, कुछ बातें होती हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मैं भी उस असैम्बली में था। हुड्डा साहब ने तो इस मामले में लेट काम शुरू किया। उस समय चौटाला साहब ने इस विषय पर गुरनाम सिंह कमीशन बनाया था। गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई। नर सिंह ढाण्डा मेरे मित्र थे और 49 साल की आयु में मैं उनकी शादी करवाकर लाया था और उस दिन गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मैं उस समय श्री नर सिंह ढाण्डा के घर पर बैठा था और नरसिंह ढाण्डा गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट को पास करके वहां पर बैठे थे। नर सिंह ढाण्डा की श्रीमती ने नर सिंह ढाण्डा को कहा कि "देख सयाणे, मैं टक्साली जाटों के ब्याही हुई आई थी आज से तू हो गया है बैकवर्ड इसलिए पानी के मटके को हाथ मत लगा देना" That was the reaction of Mrs. Dhanda. स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही संजीदा मामला है इसलिए इसको गम्भीरता से लिया जाये। यह समाज की सबसे बहादुर कौम के हित से जुड़ा मामला है। आज के दिन चौधरी दलबीर सिंह सुहाग भारतीय सेना के सेनापति हैं और वे कारगिल की चोटी से 14000 फीट की ऊंचाई से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जिन बंधुओं का आप भला करना चाहते हैं उनके भले के लिए आप सही जगह पर सही समय पर सही और ठोस कदम उठायें यही समय की मांग है। इसके साथ ही साथ मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग लोगों का भला नहीं करना चाहते वे केवल भला करते हुए दिखना चाहते हैं। वे ही लोग इस भोले-भाले वर्ग को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। यही इस मामले में वास्तविक स्थिति है। मैं सदन और विपक्ष के माननीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तथा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह

[श्री राम बिलास शर्मा]

हुड्डा से भी गुजारिश करूँगा कि यह एक बहुत ही संजीदा मामला है, यह भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यह सदन हरियाणा प्रदेश की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने वाला सदन है। इस मामले में हमारी सरकार की इच्छा और भारत सरकार की इच्छा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमारी सरकार की इच्छा स्पष्ट नहीं होती तो क्या कोई सरकार दो-दो बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से रिव्यू पैटीशन डालती ? आज हमने अपने एडवोकेट जनरल को यहाँ सदन में इसलिए बुलाया है कि जो कानूनी पहलू हैं उन पर वे प्रकाश डाल सकें। हमने यह कालिंग अटैन्शन नोटिस स्वीकार किया है और इसमें जो सिगनेट्रीज हैं वे एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह न ही तो कालिंग अटैन्शन नोटिस है और रूल के हिसाब से न ही हम हाउस में इस पर चर्चा कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया कि 8-9 साल राज करने के बाद अचानक से जाटों की याद कैसे आ गई जैसे कि इनको तो पैदा होते ही सबकुछ याद आ गया हो। इस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये अपने तजुर्बे बताने लग जाते हैं, कोई बात नहीं ये हमारे मित्र हैं। एडवोकेट जनरल यहाँ बैठे हुये हैं, इस बारे में विधान सभा की भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ कन्वैंशन्ज हैं, कुछ कानून हैं। अगर कोई भी कालिंग अटैन्शन नोटिस जिसको स्पीकर साहब मंजूर करते हैं तो उसका रिप्लाई स्टेटमैंट सरकार की तरफ से आना होता है। ए.जी. साहब ने जो स्टेटमैंट दी है कि यह मामला सब-जूडिस है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री जी यहाँ हाउस में खड़े हो कर यह कहें कि जो ए.जी. साहब का जवाब है वह सरकार का जवाब है, यह बात ठीक नहीं है। कालिंग अटैन्शन नोटिस का जवाब तो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर कहा गया है कि एक विशेष जाति को आरक्षण दिया गया है लेकिन जाटों के साथ-साथ दूसरा निर्णय भी था जिसके तहत ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी और बनिया समाज को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। उनकी मंत्री जी को याद नहीं आई। जिस समय इनका इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन था उस समय इनको अपनी बिरादरी के बारे में ध्यान नहीं आया, इसी प्रकार से जब उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उस समय भी इनको अपने भाईचारे की याद नहीं आई? ये तो लोगों को यह भी कहते थे कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा। इसलिए मेरी राय यह है कि किसी पर पर्सनल छींटाकसी न की जाये। अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैन्शन नोटिस का जवाब तो सरकार की तरफ से आना ही चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी यह कह दें कि यह सरकार की स्टेटमैंट है तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषय कल प्रात: ही समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बार-बार आग्रह करने के बाद आपने इस विषय को आगे

बढ़ाने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में जिस प्रकार की चर्चा हुई तो हमने भी कुछ पुराने लोगों से भी बातचीत की, चूंकि यह विषय केन्द्र सरकार से भी जुड़ा हुआ है इसलिए केन्द्र में भी बात की। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी यह विषय जुड़ा हुआ है इसलिए वहाँ पर भी बातचीत की है। अंततोगत्वा ध्यान में यह आया जैसा कि श्री अभय सिंह चौटाला जी के नोटिस में ही लिखा हुआ है कि पिछले लोकसभा चुनावों से पहले जाटों का राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की सिफारिश पर जाटों को आरक्षण दे दिया गया। मुझे लगता है कि आरक्षण का विषय कोई आज का विषय नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था समाज के निम्न वर्गों के लिए की थी। उस वक्त उस विषय में बहुत सात्विकता थी कि समाज का वह वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, चाहे किसी भी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का, उसके उत्थान का हम सबका दायित्व है। उस दायित्व को ध्यान में रखते हुये संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। संविधान में यह भी कहा गया है कि हम इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें और यह आरक्षण की व्यवस्था अस्थाई तौर पर होनी चाहिए। उसमें एक निश्चित समय-सीमा भी बताई गई थी कि इसके बाद यह समाप्त करना चाहिए। यह समाज की होमोजैनिटी बननी चाहिए लेकिन आरक्षण वर्गों में, अपनी-अपनी जातियों में, अपने-अपने समूहों में एक ऐसा विषय जो राजनैतिक बन गया और राजनैतिक बनते-बनते पार्टियों में एक होड़ चल पड़ी कि इस वर्ग का आरक्षण उस वर्ग का आरक्षण और यह विषय आगे बढ़ा और बड़े खेद का विषय है कि उसको रोकने का प्रयत्न नहीं किया गया। हमारा कहना है कि आज भी यदि हम इसी हाउस के माध्यम से अपनी एक भावना बना लें कि यह एक सामाजिक विषय है, यह राजनैतिक विषय नहीं है। राजनीति के माध्यम से यदि हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे कि इस वर्ग को हम बनाएंगे, उस वर्ग को हम बनाएंगे तो इस बारे में मेरा यह कहना है कि इस होड़ को हमें छोड़ना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि यह आरक्षण का विषय कोर्ट में चल रहा है इसलिए उसमें केन्द्र सरकार अपना काम करेगी। कम से कम प्रदेश में जो बात एडवोकेट जनरल ने कही है जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि इनको यहां बुलाया है तो इनको इस नाते से बुलाया गया है कि सरकार का एक फॉर्मल रिप्लाई यदि हो तो वह सारे कानून के दायरे के अन्तर्गत क्या हो सकता है ? फॉर्मल रिप्लाई जो दिया गया है उसमें पहले मंत्री महोदय ने अपनी बात की है और बाद में एडवोकेट जनरल साहब ने बोला है और जो एडवोकेट जनरल साहब ने बोला है वह ट्रेजरी बैंचिज पर बैठकर बोला है। उन्होंने यहाँ पर जो बैठ कर बोला है इसको ही सरकार का रिप्लाई माना जाए और अगर आगे भी इस पर कोई चर्चा करनी हो तो हम .....

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अगर आपने इसको रिप्लाई मान लिया तो इसको सबको सरकुलेट करवा दो।

श्री मनोहर लाल : ठीक है सबको सरकूलेट करा देंगे और मेरा कहना है कि आगे भी ऐसे सैंसिटिव विषयों के लिए सामाजिक स्तर पर कोई न कोई रास्ते निकालने चाहिए। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लर्नड लोग हैं जो इन विषयों के अच्छे जानकार हैं जिनके माध्यम से यह विषय निकाले जा सकते हैं। यह हाऊस भी लर्नड लोगों का है क्योंकि हमारी बात भी एक अपना स्थान रखती है लेकिन फिर भी बहुत सोश्योलॉजी के लोग हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज के लोग हैं।

[श्री मनोहर लाल]

अपने-अपने समाज में इन बातों को लेकर सुधार लाने वाले लोग बहुत हैं। ऐसा कोई नया स्ट्रक्चर बनाकर हरियाणा में इस तरह का कोई न कोई विषय निकालें ताकि इसका जातिगत आधार पर कितना महत्व हो, आर्थिक आधार पर कितना महत्व हो, सामाजिक आधार पर कितना महत्व हो, शैक्षणिक आधार पर कितना महत्व हो, इन सब चीजों को मिलाकर के विचार करना चाहिए। जो भी पीछे रह गया है उसको आगे लाने का दायित्व हम सबका है अन्तोदय के भाव से हम काम करें। इस हाउस से मेरा निवेदन है कि 'अन्तिम का उदय' यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान जो हमारी हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे हम सब पाबंद हैं इससे बाहर नहीं जा सकते इसके रूल्ज 68 (xi) में लिखा है -

> "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो किसी न्यायालय के न्याय-निर्णय के अधीन हो;"

(शोर एवं व्यवधान) क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में तो यह जो कालिंग अटैंशन मोशन है -----

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ा गया है और पढ़ने के बाद उसका जो यह जवाब मांग रहे थे उसके तो यह नजदीक भी नहीं हैं। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोकियो। यह खुद ही हरियाणा में हरिजनों की और दूसरों की रिजर्वेशन को हटाने की बात किया करते थे। आज गैर-जिम्मेदाराना तरीके से यह सवाल कर रहे हैं वह उनका जवाब दे रहे हैं। दोनों तरफ से गैर-जिम्मेदाराना माहौल है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, आप भी ऐसे व्यक्ति के लिए माइक खोल देते हैं जिसको यह ही नहीं पता कि किस विषय पर क्या कहना है ?

Health Minister(Shri Anil Vij): Let me say. सर, इस नियम के तहत यह कालिंग अटैंशन मोशन असैप्ट नहीं किया जा सकता था।

श्री करण सिंह दलाल : फिर आप स्पीकर साहब के खिलाफ मोशन लाओ कि इन्होंने अलाऊ क्यों किया ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में रूल्स ऑफ प्रौसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस इन दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली के पेज-51 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रूल 100 के (iii) में लिखा है कि-

> "किसी ऐसे तथ्य की बात का हवाला नहीं देगा जिस पर कोई न्यायिक निश्चय लंबित हो"

स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त रूल 174 के पार्ट डी में यह लिखा हुआ है कि-

> "यह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो किसी ऐसे विधि न्यायालय के जिसकी अधिकारिता भारत के किसी भी भाग में है न्यायनिर्णय के अधीन हो।"

(शोर एवं व्यवधान)

डॉ.रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐडमिसिबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं। आपने वह कालिंग अटैंशन मोशन ऐडमिट कर लिया और उसकी रिप्लाई भी आ गई इसलिए the question of admissibility of Calling Attention Motion अराइज ही नहीं हो रहा है।

Shri Anil Vij : Speaker Sir, इन सब बातों को देखते हुए what I mean to say that you should withdraw this Calling Attention Motion. It cannot be discussed in the House. This Calling Attention Motion should be withdrawn and no reply has to be submitted in the House.

श्री करण सिंह दलाल : जो भी फैसला इस मामले में हुआ है क्या यह सरकार आज भी इस मामले को रैफर करके लार्जर बैंच को भेज सकती है या नहीं इस बारे में ए.जी.साहब बताएं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन के नेता ने जो बात अभी कही थी कि यह इशू बड़ा सैंसिटिव है और हमें इसके ऊपर राजनीति करने की बजाय इस इशू का कैसे समाधान हो, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। मैं राजनीति करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जिस जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लामबंद हो रहे हैं उसमें केवल जाट नहीं, रोड, त्यागी, जट सिक्ख, बिश्नोई भी हैं इन पांचों श्रेणियों को भी प्रदेश की सरकार ने आरक्षण दिया और केन्द्र को भी लिखकर भेजा कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यह सबसे महत्वपूर्ण इशू है इसलिए इस इशू को यहां पर डिस्कस करना चाहिए क्योंकि इसमें आज केवल जाट ही नहीं बल्कि पांचों कौमों के लिए आरक्षण किया है और ये ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं और उन लोगों की खेती की जोत लगातार घटती जा रही है। ग्रामीण अंचल में 59 परसैंट लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक सर्वेक्षण में 5 हजार से भी कम मासिक आमदनी है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपकी ये बात ठीक है लेकिन इसके लिए नियम इजाजत नहीं देते तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। ए.जी. हरियाणा ने इस बारे में जो कानूनी रूप से स्थिति स्पष्ट की है और सदन में सदस्यों द्वारा जो विचार रखे गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस कालिंग अटैंशन मोशन को नामंजूर करता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। (विघ्न)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गये और एक साथ बोलने लग गये।) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, पहले आप सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाइये। यह मामला माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी जाटों को आरक्षण दिया गया था उसी आधार पर हरियाणा के जाटों को भी सरकार को आरक्षण देना चाहिए। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जाटों को जो आरक्षण दिया गया था वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय दिया गया था उस समय

[कैप्टन अभिमन्यु]

राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन थी। अगर आज भी हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया जायेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देगी। इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो राजस्थान में जाटों के आरक्षण का विरोध किया था कि जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है और ये लोग तो दूसरी जातियों को आरक्षण देने के भी खिलाफ थे। (विघ्न)

बैठक का स्थगन

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाटों के विरोध में है? अध्यक्ष महोदय, हमने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था वह आपने नामंजूर क्यों किया? (विघ्न)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य हाउस की वैल में आकर जोर जोर से बोलने लग गये।)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, ए.जी. साहब से सरकार ने राय ले ली है और ए.जी. साहब ने अपनी बात कहते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम के अनुसार सदन इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकता। अभय सिंह जी आप सदन को नियमों के खिलाफ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने यह बात कही थी कि नियमों के अनुसार हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा है अगर स्पीकर को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार है तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार भी स्पीकर को ही है। (विघ्न) अभय सिंह जी आप इस प्रकार से जोर जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। कल आपने ज्यादा दवाब बनाया तो मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था लेकिन आज ए.जी. साहब की टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए यह नियम के अनुसार सही नहीं है कि सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा करे। (विघ्न) आप सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठें। सदन की वैल में खड़े होकर इस प्रकार से बहस न करें। अब जबकि विशेषज्ञों ने इस बारे में अपनी राय दे दी है तो सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाइये। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार का व्यवहार करके इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य पुरानी भूल को सुधार रहे हैं। केवल अखबारों में खबर बनाने के लिए यह सदन की वैल में आये हैं। इन्होंने अपनी सरकार के समय आरक्षण देने की कभी बात नहीं की अगर कभी आरक्षण की बात आती थी तो ये उस बात का सदैव विरोध किया करते थे। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान में, उत्तरप्रदेश में और दिल्ली में जाटों को आरक्षण दिया था तो उस समय हरियाणा में इण्डियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तब इन्होंने हरियाणा के जाटों को आरक्षण देने की मांग क्यों नहीं की? आज ये नम्बर बनाने के लिए हाउस की वैल में आये हैं। (विघ्न) ये आरक्षण के लिए गम्भीर नहीं हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारे लगाने लग गये।)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सदन के नियमों को ताक पर रखकर सदन में कोई फैसला नहीं हो सकता। आप सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठिये। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, ये अंगुली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

*15:30 hrs. (The Sabha then *adjourned at 3.30 P.M. and re-assembled at 3.45 P.M.)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, हाउस 15 मिन्ट के लिए फिर स्थगित किया जाता है।

*15:45hrs. (The Sabha then *adjourned at 3.45 P.M. and reassembled at 4.00 P.M.)

जाट समाज को आरक्षण देने हेतु सुझाव सम्बन्धी

*16:00 hrs. **श्री अध्यक्ष** : डॉ. साहब, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, हाऊस की एडजर्नमैंट से पहले यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। जैसा कि यहां पर सदन के नेता ने भी बताया कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने रिजर्वेशन को यह सोचकर आगे बढ़ाया था क्योंकि उनके दिमाग में यह विचार था कि देश में उस समय कुछेक ऐसे सैक्शन थे अगर उनको रिजर्वेशन मिलता है तो वे भी देश की तरक्की के रास्ते की दौड़ में शामिल हो जायेंगे। एक वर्ग को आरक्षण देने के सम्बंध में स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के नेता ने हाऊस में दिया जिसे कालिंग अटैंशन नोटिस में कंवर्ट करके आपके द्वारा मंजूर किया गया और उस पर डिस्कशन करवाई गई। उसके बारे में सरकार का जवाब भी आया। इस बारे में विधान सभा के रूल्ज़ का भी जिक्र किया गया। हमारी विधान सभा के रूल्ज़ की जो किताब है "Rules of Procedure and Conduct of Business" उसमें भी यह बात है। इसके अलावा कॉल एण्ड शकधर में भी यही बात है कि जो सब-जूडिस मैटर होते हैं वे विधान सभा में डिस्कस नहीं हो सकते। हमारे लोकतंत्र का जो 68-69 साल का सफर रहा है उसमें कहीं पर भी जूडीशियरी और लेजिस्लेशन के बीच टकराव नहीं हुआ है। मर्यादाओं की जो लक्ष्मण रेखायें खींची गई हैं, उनको निभाया गया है। हम भी इसी बात के पक्षधर हैं कि अब भी जूडीशियरी और लेजिस्लेशन के बीच टकराव की बात नहीं होनी चाहिए। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। पूरे प्रदेश के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमारे द्वारा चुने हुए लोग किस तरह की बात करते हैं और हमारे हित के लिए किस तरह के फैसले करते हैं। जनता की खुशहाली को जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर चलने की ये कहां तक कोशिश करते हैं। हमारे हर काम पर उनकी बारीकी से नज़र है। इस मामले में मेरा एक सुझाव है कि अब 68 साल की आज़ादी के बाद ये सभी बातें सामने आ रही हैं कि समाज के कुछ सैक्शन विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं। ये जो पांच कैटेगरीज़ ली गई हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में किसानों की खेती की जोत कम हो गई है और उनके पास इसके अलावा जीवन निर्वाह का कोई अन्य रास्ता भी नहीं है। इस कारण वह पूरे सिस्टम से एक आस लगाये बैठा है कि

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]

उसको भी कुछ न कुछ अवश्य मिले। इसमें मैं महाधिवक्ता साहब की उपस्थिति में पूरे सदन से यह बात कहना चाहता हूं कि आज पूरा सदन एक लाईन का यह प्रस्ताव पास करे और केन्द्रीय सरकार को भेजे कि पार्लियामैंट में इसका कानून बनाया जाये कि इन पांच जातियों को ओ.बी.सी. में शामिल किया जाये। यह एक प्रस्ताव सदन की तरफ से जाये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा किया जाता है तो क्या वह माननीय न्यायालय द्वारा खींची गई जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर होगा या ऐसा करके हम उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जायेंगे? इसकी जानकारी भी पूरे सदन को दी जाये। कुल मिलाकर मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या यहां से इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जा सकता है कि इन पांच जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाये?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप कृपा करके बैठ जायें। सदन के नेता इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वास्तव में आरक्षण का जो विषय है यह बड़ा ही सैंसिटिव मुद्दा है। इसके हरेक पहलू से मैंने उस समय सभी माननीय सदस्यों को अवगत करवाया था। मैं वही बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब हम किसी विषय के बारे में चर्चा में और नियमों में उलझ जाते हैं तो जो मुख्य मुद्दा होता है वह ओझल हो जाता है। कहने का यही अर्थ है कि नियमों और कानूनों में हम ज्यादा फंस जाते हैं। इस बारे में किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को पास करने के बारे में हमारे महाधिवक्ता जी पहले ही मना कर चुके हैं कि अगर कोई मैटर सब-जूडिस हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें वह नहीं करना चाहिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इसमें रूल्ज की वायलेशन कहाँ पर होती है? आप बताईये कि किस रूल के तहत वायलेशन होती है ?

Sh. Manohar Lal : Rule 174 (c) and (d) of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, which reads as under:-

> "(c) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government;
>
> (d) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India."

इस प्रकार रूल 174 के हिसाब से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता लेकिन मेरा यह कहना है कि हम इस विषय में थोड़ा सा और आगे बढ़ जायें। आगे बढ़ने से मेरा अभिप्राय यह है कि प्रदेश में जो स्थिति पहले थी उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ है और प्रदेश सरकार चाहती है कि वह स्टे हट जाये। हम सभी सदस्यों के अलग-अलग मत हो सकते हैं कि हम इस स्टे को हटवाने की सपोर्ट में क्या-क्या कह सकते हैं। मेरा यह विचार है कि इस हाउस में से जो लर्नड सदस्य हैं, हर पार्टी अपनी तरफ से दो-चार सदस्य तय कर दे, वे इस स्टे को हटवाने के लिए दो-दो लाईन के ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे यह स्टे हट सके। केवल विषय को इंगित करें कि इस विषय पर हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। अगर ऐसे

सुझाव आते हैं जिनको आधार मान कर सरकार इस केस को कोर्ट में लड़ सके तो सरकार उसका पूरा समर्थन करेगी। मेरा यही सुझाव है कि सभी पार्टियाँ अपने-अपने सदस्यों से सुझाव ले लें। अगर हम इन बाकी चीजों में किस कानून के तहत, क्या करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते, पर डिस्कशन करते रहे तो फिर यह विषय लम्बा चल जायेगा और मूल बात रह जायेगी। इसलिए मूल बात यही है कि कुछ अच्छे सुझाव हमें मिल जायें जिन पर हम अपनी लड़ाई लड़ सकें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के नेता ने अभी इस मुद्दे पर सभी पार्टियों के सदस्यों को आमंत्रित किया है यह अच्छी बात है। एक बार तो ऐसा माहौल बन गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद आज इस इशू पर चर्चा नहीं हो पायेगी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, चर्चा और सुझाव में फर्क है। चर्चा का मतलब तो हम फिर से एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर देंगे। हमने सुझाव मांगे हैं कि किन-किन बिंदुओं पर हम इस स्टे को हटवा सकते हैं और इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो चर्चा का विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर कोई ऐसा सुझाव हो तो बताएं जिससे यह स्टे हट सकता हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस इशू पर सभी पार्टियों के सदस्यों से जो सुझाव देने का निर्णय लिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। यह इशू ऐसा था कि जब हाईकोर्ट में यह केस एडमिट हो गया तो लोग इस पर चर्चा करते थे। आज जब यह इश्यू विधान सभा में लगा तो सभी का ध्यान इस तरफ था कि आज विधान सभा में इस पर क्या विचार-विमर्श होगा और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। मैं फिर वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जाट आरक्षण की जरूरत क्यों है और उन पांच जातियों को भी आरक्षण की जरूरत क्यों है जिनको हरियाणा में आरक्षण दिया गया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जरूरत क्यों है यह तो हमें भी मालूम है। जरूरत पर प्रश्न चिह्न नहीं है। इशू यह है कि जो स्टे हुआ है उसको हटवाना है और उसको हटवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष अपने सुझाव दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप उस स्टे को हटवाने के लिए सुझाव दीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल में 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी आय 5000/- रूपये से कम है उसमें सभी जातियों के लोग हैं। उनमें केवल ये 5 जातियों के लोग ही नहीं हैं उनमें ब्राह्मण भी हैं, बनिये भी हैं और पंजाबी भी हैं। उसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने आरक्षण कभी नहीं माँगा। जिस समय गुलजारी लाल नन्दा जी के सामने आरक्षण का प्रस्ताव आया था तो वे हमको आरक्षण देना चाहते थे उस समय हमने स्वयं मना कर दिया था। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत के दम पर हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : हो सकता है आपको आरक्षण की जरूरत न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : बनियों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। हमने कभी आरक्षण नहीं चाहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आप लोगों को अगर लगता है कि ब्राह्मण को, बनियों को व पंजाबी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए तो मेरे ख्याल से आप अपनी कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) कोई लूट कर नहीं पहनता, कोई मांग कर नहीं पहनता। तुम अकेले इस बात के खैरख्वाह नहीं हो कि तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं सभी अपनी मेहनत और कमाई करके आए हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवर : हम अपनी मेहनत और मजदूरी करके यहां आए हैं। आप यहां जात बिरादरी की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : हाँ, मैं जाट बिरादरी की बात कर रहा हूँ क्या आप मुझे रोक सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान) आप जाट का विरोध कर सकते हो। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर खड़े होकर करो जाट जाति का विरोध आपको अपने आप पता चल जाएगा। बातें बनाते हो। (शोर एवं व्यवधान) हाऊस का माहौल खराब करते हो। आप बाहर खड़े होकर किसी जाट का विरोध करके दिखाओ। यहां खड़े होकर क्या विरोध करते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : हम 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। आप केवल जाट बिरादरी की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : देखो मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात कही थी और अब फिर मैं पूरे हाऊस से अपील करता हूं कि जिस विषय पर हैं अगर उसी विषय पर रहेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। आज कोर्ट में स्टे चल रहा है उस स्टे को हटवाने के लिए सरकार का पूरा विचार है पूरी मंशा है लेकिन उस स्टे को हटवाने के लिए जो अपने-अपने तर्क संगत सुझाव दे सकते हैं वह एक-एक, दो-दो पंक्ति में लिख कर दे दें या बोलकर दे दें ताकि हम उसकी ओर बढ़ सकें। अगर हम अपने सुझावों को इस तरीके में बताना चाहेंगे कि इस जाति का होना चाहिए, उस जाति का नहीं होना चाहिए तो हम इस पर दोबारा से चर्चा कर लेंगे कि इसमें और क्या-क्या अमेंडमैंट की जा सकती हैं। बहुत सारे अच्छे विषय इस पर बने हुए हैं फिर कोई विषय कोर्ट के माध्यम से ठीक कराना है तो माननीय न्यायालय का अपना मत होता है उस मत को अगर हमने बदलवाना है तो हमें अपनी ओर से कोई सपोर्टिव फैक्टर्ज रखने पड़ेंगे। इसलिए यह सारा हाऊस मिलकर अपने सपोर्टिव फैक्टर्ज रखेगा तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। आप केवल अपने सुझाव रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कोई unreliable बात कह रहा हूँ तो आप में से कोई एक आदमी खड़ा होकर तर्क दे। (शोर एवं व्यवधान) अब यह तो गलत है कि जब मैं बोलूं तो सारे सदस्य एक साथ बोलना शुरू हो जाएं, अब मैं तुमसे झगड़ा थोड़ी करूंगा। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवर : जब हम पश्चिम पंजाब से आए तो हमने वहां का सब कुछ ठुकरा दिया और हम यहां आकर मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी-रोटी कमाकर अपने आप खड़े हुए हैं। आप जो राजनीति करते हो वह किसी एक जाति को लेकर करते हो लेकिन हम सारे समाज की बात करते हैं। हम सारे समाज की चिन्ता करते हैं। हम किसी एक जाति की बात नहीं करते। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) पंजाबी समाज ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अवगत करवाना और सुझाव भी देना चाहता हूं कि गांव की जो आबादी है उसमें 76 परसेंट आबादी ऐसी है जिसमें लोग 10वीं तक की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सके और 34 परसेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और इनकी ऐजूकेशन के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जो आए हैं उनके मुताबिक जो यह पैसा स्कूलों में खर्च किया जाता है, उसका ज्यादा लाभ उनको नहीं मिल रहा है और उसके साथ ही पिछड़ी जातियों की पहचान शुरु हुई। इस बारे में 1953 में पहला आयोग बनाया गया। काका कालेलकर के नाम से आयोग का गठन हुआ था जिसमें संविधान की धारा 340 के तहत कमीशन गठित हुआ और 20 मार्च, 1953 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी लेकिन वह रिपोर्ट किसी कारणवश पार्लियामैंट में नहीं आ सकी। दिनांक 1 जनवरी, 1979 को एक आयोग बना था। वह आयोग श्री बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उसमें नियम 15-ए के तहत कमीशन ने पिछड़े वर्गों की पहचान की थी और 30 दिसंबर, 1980 को उन्होंने रिपोर्ट दी थी और 13 अगस्त को इसे लागू किया गया था। इसमें 78 जातियां शामिल की गई जिसमें अहीर, गुज्जर, सैनी, कंबोज, लोहार, कुम्हार आदि शामिल थे। उस रिपोर्ट का जो पृष्ठ संख्या 311 है उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जाट भी जो है वह एक तरह से पिछड़ी जाति में आता है लेकिन किसी कारणवश उस वक्त वे आरक्षण का लाभ नहीं ले सके उसके बाद 13 मई, 2008 को जाटों ने केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने दावा पेश किया और 7 जून, 2008 को शपथ पत्र देकर अपने आप को सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़ा हुआ दिखाया लेकिन फिर भी जाटों को ओ.बी.सी. में शामिल नहीं किया गया। (विघ्न) उस समय हम भी बी.जे.पी. के सहयोगी थे। यदि मैं सारी बात क्लीयर करूंगा तो फिर आप लोग ये भी कहेंगे कि हमारी वजह से आरक्षण मिला था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में 10 मार्च, 2000 को और यू.पी. में 31 मार्च, 2000 को जाटों को आरक्षण दिया गया। सन 2000 में हिमाचल प्रदेश में आरक्षण दिया गया, 22 मार्च, 2010 को उत्तराखण्ड में दिया गया। उसके बाद हरियाणा में गुरनाम सिंह आयोग बना उसने भी जब अपनी रिपोर्ट दी। यह बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यह बात मेरे सामने वाली बैंचों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनको भी अवश्य सुहायेगी। 31 दिसम्बर, 1990 को गुरनाम सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और उस रिपोर्ट को सरकार ने 5 फरवरी, 1991 से लागू किया जिसके तहत अहीर, गुर्जर, सैनी, रोड़, त्यागी, जाट, राजपूत ऐसी दस जातियों को ओ.बी.सी. में शामिल किया गया था। उसी गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार जाट, अहीर और सैनी जाति को पिछड़ी जाति में माना गया था। उसके बाद सरकार बदलने के बाद जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी बने और उन्होंने दिनांक 7 जून, 1995 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जाट, रोड़, बिशनोई, सैनी, त्यागी, जटट्-सिख

[श्री अभय सिंह चौटाला]

और राजपूत जातियों को आरक्षण की सूची से बाहर कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि उस समय की सरकार अगर ऐसा फैसला नहीं लेती तो आज यह बात नहीं होती। ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया हुआ है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आई और उसने जाट जाति के आरक्षण के लिए लोगों को बरगलाने की कोशिश की लेकिन जब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाटों को इस बात का आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़े होकर उनको आरक्षण देगी लेकिन आज देख रहे हैं कि सरकार का वह कोरा आश्वासन ही रह गया है। आज भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आपने यह कहा है कि सुझाव दीजिए। मैं अपने सुझाव ही दे रहा हूं कि इन पांच जातियों को दोबारा से आरक्षण दिया जाए जिनको आरक्षण से बाहर किया गया है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने इस बारे में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि कोई भी लर्नड सदस्य इस बारे में अपने सुझाव दे सकता है। माननीय सदस्य इस बारे में अपने सुझाव दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिन पांच जातियों को आरक्षण की सूची से बाहर किया गया है उन जातियों को ओ.बी.सी. की सूची में शामिल किया जाए। जिस प्रकार तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1990 से लेकर अब तक 69 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है उसी आधार पर इन पांच जातियों को और दूसरी पांच-छः जातियों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जो पिछली सरकार ने दिया था। मैं यह सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ था आपने मुझे इसके बारे में सुना इसलिए आपका धन्यवाद। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पंजाबी जाति को जाति विशेष का आरक्षण नहीं चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है मैं उस संबंध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर किसी सदस्य के पास आरक्षण संबंधी कोई कानूनी बात है तो वह सदन में बतायें। अध्यक्ष महोदय, सारा सदन यहां बैठा हुआ है और एडवोकेट जनरल साहब भी सदन में बैठे हुए हैं। जैसा कि ये Reservation in Government Jobs ओ.बी.सी. के नाम पर है, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी इस बारे में कुछ बातें ठीक कही हैं कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर संविधान ने जो 50 प्रतिशत तक आरक्षण की सीमा तय की हुई है उस से ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं लेकिन हर जगह के हालात व राजनीतिक कारण अलग-अलग होते हैं। इस बारे में कुछ सोच-विचार अवश्य करना चाहिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह केस हारा जा चुका है। यदि सरकार इस विषय में कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहती है तो इसके केवल 2 ही तरीके हैं जिनके बारे में सुझाव देना चाहता हूँ। Indira Sawhney Vs. Union of India केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9-Judges Bench का

एक फैसला आया था। उस जजमैंट के पैरा नं.8.47 व पैरा नं.8.59 में जो लिखा हुआ है उसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ:-

> "The Central and State Governments to constitute permanent mechanism in the nature of Commission for examining requests for inclusion and complaints of over inclusion, non inclusion."

सर, इस जजमैंट में 10 साल का running enabling provision है। जो रिपोर्ट वहाँ पर गई है उसके आधार पर पिछली सरकार ने रिजर्वेशन को लागू किया है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह हरियाणा सरकार के स्तर का विषय नहीं है। एक तरीका तो यह है कि भारत सरकार के अटार्नी जनरल साहब को कहा जाए कि इस तरह की जो रिपोर्ट आई है तथा 9-Judges Bench का जो फैसला आया है उससे भी ऊपर का Constitutional बैंच बनवाया जाए और उस बैंच को यह केस रैफर किया जाए, उस बैंच के माध्यम से जो adjudication होना होगा, वह हो जाएगा। एक तो इस समस्या से निपटने का तरीका यह है जो मैंने अभी बताया है। इसका दूसरा तरीका भी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हम ये सोचते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है, अब उस में कुछ नहीं हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि कल ही 'Times of India' newspaper में एक आर्टिकल आया था जिसके लेखक एक एम.पी. हैं, वैसे वे कोई अथॉरिटी तो नहीं हैं लेकिन उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा है कि ऐसा ही एक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसके द्वारा प्रोमोशंज़ में एस.सी. व एस.टी. की रिजर्वेशन को सैट असाईड कर दिया था उसके बाद पार्लियामैंट ने फिर से कानून में अमैंडमैंट की तथा उनकी प्रोमोशन पॉलिसी रैस्टोर की। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी कुछ करना चाहते हैं तो जो दो सुझाव मैंने अभी दिए हैं उन में किसी एक को अपनाया जा सकता है और समाधान निकाला जा सकता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी ने बड़े ही विस्तार से आज के ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखी है तथा सदन के नेता ने भी इस बात की हामी भरी है कि वे इस बात के पक्षधर हैं कि इन जातियों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। माननीय श्री रामबिलास शर्मा जी ने भी हमें बड़ा इमोशनल करने की बात की थी तथा जाटों व अन्य दूसरी जातियों का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 49 साल की उम्र में उन्होंने ढांडा जी की शादी करवा दी थी। इस पर उनकी पत्नी ने उनको कहा था कि अब तुम बी.सी. श्रेणी में आ गए हो। ये कहते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री रामबिलास शर्मा जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे एक महान् कार्य और करें, यहाँ पर श्री अनिल विज जी बैठे हुए हैं, यदि वे इनकी भी शादी करवा देंगे तो आपके होते हुए इनके द्वारा एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य सम्पन्न हो जाएगा (हंसी)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, आप कृपया सुझाव दें।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा यह है कि आज से 30 साल पहले जब आरक्षण की बात चलती थी तो हम भी यह सोचा करते थे कि जट्ट-सिक्ख पिछड़ी जाति में क्यों जाएं, लेकिन आज हमारी कुछ मजबूरियाँ हो गई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पंजाबी समुदाय के या महाजन बिरादरी के साथी इस गलतफहमी में न रहे कि उनकी बिरादरी को आरक्षण नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : संधू जी, जैसे सुझाव श्री करण सिंह दलाल जी ने सदन में दिए हैं ऐसे ही सुझाव कृपया आप भी दें।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, इन सभी जातियों के ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ जिनके घर में रोजी-रोटी की व्यवस्था भी नहीं है। ये सम्पन्न परिवारों से एम.एल.ए. बनकर इस सदन में आ गए हैं, इनकी बात अलग है तथा ये सारी बिरादरियों के नुमाइंदे भी नहीं हैं। इन्होंने जो बात कही है वह बिल्कुल वाजिब नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पंजाब राज्य में कैप्टन अमरिन्द्र सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एस.वाई.एल. मुद्दे को लेकर पंजाब विधान सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करवाया था, हालाँकि उस समय यह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सदन के नेता से अनुरोध है कि इस विषय पर वे इस सदन में दो लाईन का एक प्रस्ताव लेकर आएं जिसका हम भी समर्थन करेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी पार्टी ने यह मोशन दिया था और उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यह सारे प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हमारे दिए मोशन पर चर्चा हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह गरीब और अमीर से रिलेटिड बात नहीं है। गांव में रहने वाले बहुत लोग गरीब हैं वे चाहे किसी भी जाति से सम्बंध रखते हों। अध्यक्ष महोदय, किसी को दी हुई चीज वापिस ली जाती है तो उसको परेशानी होती ही है। एक छोटे बच्चे को भी अगर पैंसिल देकर वापिस ली जाती है, चाहे उसके सगे भाई बहन ने ही ली हो तो वह अपने मां बाप से शिकायत करता है। जो 5 जातियों को आरक्षण दिया गया था वह माननीय कोर्ट के आदेश से रद्द हो गया, जिसके बारे में अभी कहा गया कि केन्द्र और हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए प्रयासरत है। जैसा कि माननीय ए.जी. साहब ने भी कहा है कि अपील पैंडिंग है और सभी इससे कंसर्नड हैं। सभी पोजिटिवली चाहते हैं कि जो चीज ली गई है उसको वापिस दिलाया जाए और उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी बात आई है और उसमें मैं अपने आप को जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस इशू का जो सबसे बड़ा पहलू है वह यह है कि आरक्षण 17 मार्च, 2015 को रद्द हुआ है। जट सिक्ख, रोड, त्यागी, बिश्नोई और जाट इन 5 जातियों का आरक्षण रद्द किया गया था। इस दौरान इन जातियों के बहुत से बच्चों ने यू.पी.एस.सी. की मेन परीक्षा पास कर ली थी। बहुत से बच्चों को नौकरी का सलैक्शन लैटर मिल गया था। बहुत से बच्चों को अलग अलग एजूकेशन कोर्सिज में ऐडमिशन मिल गया था तथा बहुत से लड़कों के रिश्ते भी हो गए थे। अब उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है तथा उनका एक एक साल बर्बाद हो गया है।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आप कोई समाधान बताएं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की सरकार को इस बारे में केन्द्र सरकार से बात करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरी बात यहां गुरनाम सिंह कमीशन की आई। गुरनाम सिंह कमीशन जिस समय लागू हुआ उस समय मेव जाति को प्रदेश में आरक्षण मिल गया तथा राजस्थान में भी मिल गया लेकिन किसी वजह से केन्द्र सरकार में नहीं मिल पाया। मेवात का इलाका सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब इलाका है इसलिए मैं कहना चाहूंगा

कि जब इन 5 जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो साथ में मेव जाति को भी आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, मुझे तो आपसे उम्मीद थी कि आप टू दि प्वॉयंट बात करेंगें।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. पर जब पंजाब के हाउस ने प्रस्ताव पास कर दिया तो हमें भी एक लाइन का रैजोल्यूशन केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए कि हमें ये आरक्षण दिया जाए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं केवल आपको सुझाव देने का काम करूंगी। हमारे सदन के नेता ने सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। माननीय ए.जी. साहब बैठे हैं उन्होंने भी बताया है and we are all seized of the matter that this matter is sub-judice and it does not pertain to this Assembly, it pertains to the Central Government. अध्यक्ष महोदय, मेरा भी मानना यह है और बाकी सदस्यों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हमको यह आरक्षण करना चाहिए और यहां पर यह बात भी हो रही है कि क्यों नहीं इस असैम्बली से एक लाइन का प्रस्ताव भेजा जाए क्योंकि पहले भी परम्परा रही है कि असैम्बली रैजोल्यूशन पास करके भेजती रही है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा विधान सभा से एक रेजोल्यूशन केन्द्र सरकार के पास भेजा जाये ताकि उस रेजोल्यूशन के रूप में Sense of the House केन्द्र सरकार को जाये और लोगों के पास भी इस बात का संदेश जाये कि जो उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुन: यह कहना चाहती हूं कि यहां से एक लाइन का रेजोल्यूशन केन्द्र सरकार के पास भेजा जाये और उसकी बढ़िया तरीके से पैरवी की जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि प्रयास करके इस प्रस्ताव को पार्लियामैंट में भी पास करवाने की सिफारिश की जाये।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर कोई मत भिन्नता नहीं है। इस बारे में हरियाणा के साथ केन्द्र का भी यही मत है। केन्द्र सरकार इस बारे में अपने मत के लिए काम कर रही है और सम्बंधित वर्ग के नुमाईंदों से लगातार चर्चा भी कर रही है। कल भी केन्द्रीय अधिकारिता मंत्री को समाज के एक वर्ग का डेलीगेशन मिलने वाला है। आज से 15-20 दिन पहले भी एक डेलीगेशन ने केन्द्रीय अधिकारिता मंत्री जी से मुलाकात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ समाज के प्रतिनिधि मीटिंग कर चुके हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मत भिन्नता ही नहीं है तो फिर संकल्प की क्या ज़रूरत है। जब सारी की सारी केन्द्र सरकार इस मामले में एकमत है और सर्वसम्मत फैसला करने जा रही है तो फिर इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, एस.वाई.एल. कैनाल के मामले में भी ऐसा किया गया था।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्या जी ने बताया मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि उस मामले में विभिन्न स्तरों पर मत भिन्नता थी लेकिन वर्तमान केस में ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई मत भिन्नता नहीं है। हम इस मामले का निपटारा पहले से ज्यादा दृढ़ता और अच्छाई के साथ करना चाहते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम भी इस सदन में निर्वाचित होकर आये हैं उस नाते से यहां पर कुछ कहने और करने का हमारा भी अधिकार बनता है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि अगर हरियाणा विधान सभा से केन्द्र सरकार के पास एक लाईन रेजोल्यूशन भेजा जाता है तो केन्द्र सरकार को इस केस के बारे में हरियाणा सरकार की मंशा का पता चल जायेगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर उनकी और उनके दल की इस विषय पर हमारे साथ एक राय होती तो यह समस्या ही न खड़ी होती। हम यह बात कहना नहीं चाहते लेकिन हरियाणा के जाट वर्ग को माननीय सदस्या के दल के लोग आरक्षण नहीं दिलवाना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने अपना सुझाव दे दिया है और मैंने आपके सुझाव को सुन लिया है। इसलिए अब आप कृपा करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या जी को पुन: यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से एकमत है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है तो वह माननीय सदस्या किरण जी की पार्टी द्वारा करवाई गई है। आज माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी इस विषय पर एकमत होने की बात करती हैं जबकि ये इस बारे में अपने दल को तो एकमत नहीं कर पाई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, यह बात तो सही है कि जो यह रेजोल्यूशन का मामला है यह पार्लियामैंट और भारत सरकार के अधीन है। . . . (विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या जी का ध्यान हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 174 के भाग 'घ' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसमें लिखा है कि-

> **"वह किसी ऐसे विषय से सम्बंधित नहीं होगा जो किसी ऐसे विधि-न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता भारत के किसी भी भाग में है, न्यायानिर्णय के अधीन हो।"**

(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या बहन किरण चौधरी जी ने एक विषय वहीं से शुरू किया जहां हम समाप्त कर चुके थे। जो रूल में लिखा हुआ है वह उस समय पढ़ कर सुनाया गया था। मैं दोबारा से उसको पढ़कर सुना देता हूं। उसमें रूल 174 क्लॉज (सी) और (डी) की चर्चा की गई है और इसके पार्ट (डी) में यह साफ लिखा हुआ है कि-

> "It shall not relate to any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India."

जब any part of India है तो Haryana is a part of India जब हरियाणा के हाई कोर्ट में इस रिजर्वेशन पर स्टे हो चुका है तो केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि किसी और जगह पर

भी डिस्कशन नहीं हो सकता है। हमने केवल उस स्टे को हटाने के लिए सुझाव मांगे थे कि उस स्टे को किस प्रकार से हटवाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : No doubt about Rule 174 (C) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. But Sir,.. .. (Interruption)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उन सुझावों में यह सुझाव तो नहीं दिया जा सकता कि हम रेजोल्यूशन पास करके भेज दें। रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, बिश्नोई, जाट, जट सिख, रोड़ और त्यागी को ओ.बी.सी. में शामिल करने के लिए पार्लियामैंट में एक कानून बनाया जाये मैं यह प्रस्ताव मूव करता हूँ। इसमें आप यस और नो करवा लो। अगर यह यस होता है तो पास हो जायेगा और अगर नो होता है तो गिर जायेगा। मैंने यह रेजोल्यूशन for the consideration of the House मूव कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, Dr. Raghuvir Singh Kadian has moved this Resolution for the consideration of the House. Now, it is for you to decide. He has already moved a resolution. You have to take the sense of the House that either it is to be rejected or passed. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वह आप लिखित में दे सकते हैं। इस पर दो अढ़ाई घंटे तक डिस्कशन हो चुका है। इसलिए अब अगर किसी के पास इस पर लगे स्टे को हटवाने के लिए सुझाव है तो वह लिख कर दे सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही समाधान है कि इसको लोकसभा में दोबारा ला कर इसको फिर से पास करवाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सुझाव है, कृपया मुझे 2 मिनट का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठ जाईये। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वह आप लिखित में दे दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 2015

Finance Minister (Captain Abhimanyu) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2015.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2015 पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3), विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 बिल का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 3 बिल का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

Finance Minister (Captain Abhimanyu) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक को पास किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(ii) दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैन्ट) बिल, 2015.

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्यमंत्री हरियाणा पुलिस (संशोधन)विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, I beg to introduce the Haryana Police (Amendment) Bill 2015.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक, 2015 को अस्वीकृत करने का संकल्प प्राप्त हुआ है। यदि सदन की सहमति हो तो संबंधित संकल्प तथा विधेयक पर इक्ट्ठी चर्चा हो जाए और विधेयक के पास होने से पहले संकल्प पर मतदान भी कर लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : अब विधायक श्री करण सिंह दलाल हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश सं0 1) को अस्वीकृत करने का अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश सं0 1) को अस्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश सं0 1) को अस्वीकृत किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो यह हरियाणा पुलिस विधेयक, 2015 आज सदन में आया है इसके ऊपर जो नोटिस मैंने आपकी सेवा में दिया था आपने उस नोटिस को मंजूर किया, उसके लिए मैं आपका भी और सदन ने पेश करने की इजाजत जिसको दी, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार जो यह अध्यादेश लाई है इसमें आपसे मेरा यह निवेदन है कि इसमें यह देखना चाहिए कि जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा नौजवान लड़कों ने इनकी बात को पसंद किया था और इनका साथ दिया था। अब यह जो अमैंडमैंट ला रहे हैं यह अमैंडमैंट क्या कहती है कि जो वैरियस कमेटीज की 49 रिकमैंडेशन्स थी उनमें से एक रिकमैंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दी थी कि हर स्टेट अपनी पुलिस रिक्रूटमैंट के लिए अलग बोर्ड बनाएगी। ताकि जो कॉस्टेबल, ए.एस.आई. या जो भी ऑफिसर्ज आप भर्ती करेंगे उनके अन्दर काबलियत हो, योग्यता हो और एक टैक्नीकल तरीके से उनकी भर्ती हो। जब यह रिकमैंडेशन सुप्रीम कोर्ट से आई थी तो वर्ष 2007 में पुलिस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि यहां पर एक रिक्रूटिंग एजेंसी बनाई जाए। सर, हम इस बात पर नहीं जाते। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार को रिक्रूटिंग एजेंसी से कोई दिक्कत थी तो यह अपनी रिक्रूटिंग एजेंसी बना लें लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन है उसमें अगर अच्छे बच्चों का सलैक्शन होता है तो आने वाले दिनों में स्टेट के लिए बहुत फायदे की बात होगी और उससे स्टेट में कई सुधार होते। जो उनको अबोलिश किया उसकी बजाय अगर उस भर्ती को और अच्छे तरीके से करते, उसमें और अच्छी मान्यताएँ शामिल करते तो प्रदेश में भी इसकी चर्चाएं होती, बधाई होती और हम भी तारीफ करते। लेकिन उसमें क्या औचित्य था कि इन्होंने बिना कारण बताए उनको अबोलिश कर दिया। लाखों लड़कों ने जो पुलिस में भर्ती होने के सपने देख रखे थे बेचारे भाग दौड़ कर रहे थे उनका आधा प्रोसैस पूरा हो चुका था। पुलिस में जो महिलाओं की भर्ती थी उनका तो फिजिकल के बाद इंटरव्यू भी हो चुका

है और उसमें सारा कुछ वीडियो कैमरे की निगरानी में हुआ हुआ है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर में उन लोगों के जो रिजल्ट हैं वह कैंसिल हो जाएंगे, जिससे उन बच्चों का जो दो साल से पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए मेहनत कर रहे थे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उनमें से कई बच्चे ओवरएज हो जाएंगे और अब वे भविष्य में ऐप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। ये इस बिल में कहते हैं कि-

> "3. In the principal Act, for existing section 4A, the following section shall be substituted namely:-
>
> "4A. Dissolution of State Level Recruitment Board.-(1) The State Level Recruitment Board constituted vide Haryana Government, Home Department, Notification No.S.O.52/H.A.25/2008/S.4A/2013, dated the 15th May, 2013 is hereby dissolved."

उसको डिजौल्व करने के बाद जो प्रावधान इसमें किया जा रहा है, उसमें ये कहते हैं-

> "anything done or any action taken by the State Level Recruitment Board shall not be invalidated.;"

जब ये खुद मान रहे हैं कि बोर्ड ने अब तक जो कार्यवाही की है वह सही है तो उस रिक्रूटमैंट प्रौसेस को कैंसिल करने का क्या लाभ नजर आएगा।

> "all the recommendations made by the State Level Recruitment Board, pending with the Home Department shall be subject to the approval of the Government.;"

इसमें सर, मैं आपके मार्फत् यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब ये एक्ट में प्रौविजन कर रहे हैं तो जिन बच्चों के इंटरव्यू हुए हैं और जो अपनी पूरी प्रौसेस पूरी कर चुके हैं, उनकी पिछले दो साल की मेहनत खराब नहीं करनी चाहिए। अगली बात इन्होंने कही है-

> "proceedings pending before the State Level Recruitment Board, before dissolution shall stand transferred to the Haryana Staff Selection Commission.; and"

कल खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि वे 30-40 हजार नौकरियों के लिए एस.एस.सी. के मार्फत् भर्ती कराना चाह रहे हैं। इस बिल के जो ऑब्जैक्ट्स एंड ऐम्स हैं उसमें इन्होंने यह लिखा हुआ है कि क्योंकि हमें यह भर्ती जल्दी करनी है इसलिए हम इसको एस.एस.सी. को दे रहे हैं। सर, इस बारे में मेरा अनुरोध है कि एस.एस.सी. के पास तो पहले ही रिक्रूटमैंट का बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए एस.एस.सी. इतने बड़े बोझ को अकेले नहीं उठा पाएगी और जो पुलिस कांस्टेबल्स की कमी है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो लड़के और लड़कियां जो इसमें पहले एग्जाम दे चुके हैं, उनकी दो साल की मेहनत खराब न की जाए, मेरा सुझाव है कि इनको ये करना चाहिए कि स्कूलों में या कॉलेजों में एन.सी.सी. के जो कैडेट्स हैं, उनको इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा प्रिफरैंस दें। (विघ्न) इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को इनको उसमें कोडीफाई करना चाहिए। एस.एस.सी. को रैफर करने से पहले यह अवश्य देख लें कि आपसे जो एक बैटर क्वालिटी की सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद की थी, उसके

(श्री करण सिंह दलाल)

मुताबिक उसमें गिरावट आएगी और स्टेट का भी नुक्सान होने की संभावना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ये अपना रिक्रूटमैंट बोर्ड बना लें और जो प्रोसैस चल चुका है, उसको कैंसिल न करें। जो ये बिल यहां आया है यह आज यहां से पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास जाएगा। 7200 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होगी। उस प्रक्रिया को ये आज से एक महीने पहले ही शुरु कर चुके हैं। असैंबली में आज यह बिल पास होगा, उसके बाद यह बिल गवर्नर साहब के पास कंसैंट के लिए जाएगा, लेकिन सरकार ने नौकरियों के लिए प्रोसैस शुरु करते हुए वैकेंसीज ऐडवर्टाइज कर दी हैं कि दो महीने के बाद ऐप्लीकेशन लगानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे हरियाणा प्रदेश का दूसरे प्रदेशों में भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनेगा। इसके ऊपर विचार अवश्य कर लें। मेरा यह भी सुझाव है कि इनको पुलिस की रिक्रूटमैंट के लिए ऐक्सपर्टस चाहे वे फौज से हों, चाहे पुलिस के हों अच्छे लोगों को सुझाव के लिए इसमें आप जगह दें। एस.एस.सी. पहले से ही ओवरबर्डन्ड है इसलिए उनसे पुलिस की भर्ती नहीं करवानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस केस को जिसमें 'प्रकाश सिंह वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया' का केस है, उसे आप मंगवा लीजिए, उसमें इस बारे में डायरैक्शंज लिखी हुई हैं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): स्पीकर सर, भाई करण सिंह दलाल ने पिछली सरकार के समय की प्रतिबद्धता को दिखाते हुए अपनी बात कही है। मान्यवर, पिछली सरकार ने एक टीचर रिक्रूटमैंट बोर्ड का गठन किया था जिसने वर्ष 2010 और वर्ष 2013 में 15 हजार अध्यापकों की भर्ती की थी। माननीय हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि इन भर्तियों का साईंटिफिक परयूजल कीजिए। जब उस भर्ती का विशलेषण किया गया तो किसी कैंडीडेट का हाथ के अंगूठे की जगह पांव का अंगूठा लगा हुआ था और किसी कैंडीडेट की जो डिग्री और अनुभव मिला उस नाम की कोई संस्था ही नहीं है। पिछली सरकार ने जो पुलिस भर्ती बोर्ड गठित किया था उस पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था जिसने कभी पुलिस के बैल्ट को हाथ लगाकर भी नहीं देखा था। कभी भी उनके घर से पुलिस का जवान नहीं बना लेकिन फिर भी पिछली सरकार ने पार्टी पदाधिकारी को चेयरमैन बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता जनार्दन के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जिसने 20 हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए विधिवत विज्ञापन कर दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन के बारे में बात कर रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार जो पुलिस की भर्ती होगी उसमें पुलिस के आला अफसर होंगे, आर्मी के रिटायर्ड अफसर होंगे जो पुलिस फोर्स के कायदे कानून जानते होंगे और जिन्हें यह मालूम होगा कि पुलिस के लिए किस डीलडौल के जवान चाहिए, कैसे जिगर के जवान चाहिए। उसी आधार पर पुलिस में जवानों की भर्ती की जायेगी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। कल एक प्रश्न नौकरियों के बारे में आया था उस समय मैंने अपने जवाब में कहा था कि यह सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र के लोगों को मैरिट के आधार पर नौकरी देने के लिए तैयार है। माननीय सदस्य पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार

ने पुलिस भर्ती के लिए कुल 35 अंकों में से 15 अंक केवल साक्षात्कार के रखे हुए थे। जबकि वर्तमान सरकार ने कुल 100 अंकों में से साक्षात्कार के लिए केवल 5 अंक ही रखे हैं बाकी के जो अंक होंगे वे योग्यता के आधार पर होंगे जैसे 15 अंक शारीरिक दक्षता के, 60 अंक लिखित परीक्षा के, 15 अंक लम्बाई के, 2 अंक उच्चतम शिक्षा के और तीन अंक एन.सी.सी. के होंगे ताकि योग्य सिपाही भर्ती हो सकें। पुलिस सरकार का पब्लिक में देखने वाला चेहरा होता है। यदि हम अच्छे लोगों को सरकार के चेहरे के नाते प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आज जितनी शिकायतें आती हैं मुझे, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा शिकायतें पुलिस के कारण होती हैं। हमारी पुलिस अच्छी किस्म की और उच्च कोटि की बने, इस नाते से हमने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाकर इसके नियम बनाये हैं क्योंकि पहले पुलिस भर्ती के लिए कोई नियम नहीं थे। पहले चाहे कोई कैसे भी पुलिस की भर्ती कर लेता था। लेकिन अब पुलिस की जो भर्ती होगी वह ऑन लाईन भर्ती होगी। अब बाकायदा इस बारे में नियम बनाये गये हैं। पुलिस भर्ती के लिए बाकायदा नाप-तौल का हिसाब रखा गया है। उसके लिए दौड़ का प्रावधान किया गया है, पहले भी भर्ती में दौड़ होती थी लेकिन 15 अंक देकर जिसको चाहे भर्ती कर लिया जाता था। इस तरह से यह हिसाब होता था। उम्मीदवारों को मैरिट के आधार पर नौकरी मिले इसलिए हमने पुलिस भर्ती के लिए नियम बनाये हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में बहुत सी बातें हैं लेकिन हम उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करते। हमारी केवल एक ही चिन्ता है और यह मेरी अकेले की चिन्ता नहीं है बल्कि ये पूरे हरियाणा के उन लोगों की चिन्ता है। सरकार एक ऑन गोईंग प्रोसैस है। यह जरूरी नहीं है कि पिछली सरकार जो काम कर जाती है उस काम को आने वाली सरकार ऑन नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि इस ऑन गोईंग प्रोसैस में उन हजारों बच्चों का कोई कसूर नहीं है। हमारी तो आपसे एक गुजारिश है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंज हैं तो आप पुलिस भर्ती का एक बोर्ड बना दीजिए। जिन बच्चों का रिकॉर्ड सील है और जो बच्चे उनमें काबिल हैं उनका उनकी उम्र के हिसाब से कैरियर खराब नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार विचार करे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, श्री करण सिंह दलाल जी ने अपने ज्ञान के मुताबिक अपनी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं दलाल साहब को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने हरियाणा सरकार को एक डी.ओ. लैटर लिखा था 17.00 बजे जिसका नम्बर 25019/24/2009//PM- 2 दिनाँक 16.11.2009 था। इस पत्र के द्वारा उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि आप प्रदेश में Transparent Recruitment Process लागू करें अन्यथा पुलिस आधुनिकीकरण की आगामी सहायता बंद कर दी जाएगी। इनकी अपनी ही पार्टी की अपनी ही सरकार के केन्द्रीय गृहमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए इन्होंने अपने निहित स्वार्थों के कारण एक पुलिस भर्ती बोर्ड बना दिया लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि इस बोर्ड ने 1 साल 9 महीने के पीरियड में केवल एक ही भर्ती की थी तथा वह भी एक Ex-serviceman की। उस समय इनके खिलाफ कोर्ट में भी काफी केसिज़ फाईल किए गए। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह पुलिस भर्ती बोर्ड न होकर एक कार्पोरेट ऑफिस था जिसमें किस आधार पर नौकरियाँ दी जाती थीं, उस बारे में अभी

[श्री अनिल विज]

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में बताया है कि इन्होंने 43 प्रतिशत् साक्षात्कार के नम्बर निर्धारित किए हुए थे। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कुल अंकों में 15 अंक साक्षात्कार के होते थे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यदि 35 अंकों में से 15 अंक साक्षात्कार के दिए जाते हैं तो वे 43 प्रतिशत् ही बनते हैं। (विघ्न) माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि उस समय वे लोग इनको इस बारे में जानकारी नहीं देते थे। उस समय लिखित परीक्षा नहीं होती थी। उस समय ऊँची कूद, लम्बी कूद, 100 मीटर व 800 मीटर दौड़ के 4, फिजिकल टैस्ट्स के कुल 20 अंक होते थे। अब हमने पुलिस भर्ती की इस सारी प्रक्रिया को चेंज कर दिया है। हमने 100 अंकों में से 15 अंक शारीरिक दक्षता के लिए रखे हैं, 60 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 15 अंक लम्बाई के होंगे, 2 अंक उच्चतम शिक्षा के होंगे। जैसे कि अभी श्री करण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि एन.सी.सी. के भी अंक निर्धारित किए जाने चाहिएं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 3 अंक हमने एन.सी.सी. के भी रखे हैं तथा केवल 5 अंक साक्षात्कार के इसलिए रखे हैं ताकि चाहकर भी कोई किसी के साथ हेराफेरी न कर सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो काबिल लोग होंगे वे अपनी काबिलियत के आधार पर पुलिस में भर्ती होंगे। (थंपिंग) अब किसी भी मुख्यमंत्री के कमरे से लिस्टें बनकर नहीं आएंगी तथा इस प्रकार से हमारी पुलिस फोर्स का पूरी तरह से कायाकल्प होगा।(थंपिंग)

डॉ.रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में यह बात कही है कि पुलिस भर्ती में साक्षात्कार के अंकों समेत कुल 35 अंकों होते थे। मैं कहना चाहूँगा कि यह फिगर ठीक नही है जिसको कृपया आप वैरीफाई करवा लें। पुलिस भर्ती के लिए उस समय कुल 25 अंकों का प्रावधान होता था जिसमें 5 अंक लम्बी कूद के, 5 अंक ऊँची कूद के, 5 अंक 100 मीटर दौड़ के तथा 5 अंक 800 मीटर दौड़ के अर्थात् कुल 20 अंक फिजिकल टैस्ट के रखे गये थे तथा 5 अंक साक्षात्कार के मिलाकर कुल 25 अंक बनते हैं। On the floor of the House एक सूचना सरकार की तरफ से आई है तथा एक सूचना मेरी तरफ से आई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप दोनों सूचनाओं को वैरीफाई करवा लें तथा इस सत्र की 7 सितम्बर को होने वाली बैठक में वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत करवा दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इनकी सरकार इनको ही झूठी बातें बताती थीं। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने इनको कभी बताया कि उन्होंने अपने समय में कितने सी.एल.यू. अप्रूव किए थे ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

> कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश सं. 1) को अस्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

स्वीकृत स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-4

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-5

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-5 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

Health Minister (Shri Anil Vij): Sir, I beg to move-

That the bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि विधेयक को पास किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1.4.2015 को अपने यहां शहरों में हाउस टैक्सिज का 1032 करोड़ रूपये बकाया था। प्रारम्भ के तीन महीनों अप्रैल, मई और जून में इन 1032 करोड़ रूपये में से 27 करोड़ रूपये वसूल हो पाए। 2015-16 जिसकी 295 करोड़ रूपये की अतिरिक्त मांग थी, उसमें से 32 करोड़ रूपये आए। हमने दो महीनों के ब्याज पैनल्टी की माफी की स्कीम की घोषणा की थी। जुलाई और अगस्त यानी दो महीनों में पुरानी बकाया राशि में से 36 करोड़ रूपये आए। 2015-16 की मांग में से 67 करोड़ रूपये प्राप्त हुए अर्थात् पहले तीन महीनों में लगभग 60 करोड़ रूपये आए और इन दो महीनों में लगभग 200 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। कुल मिलाकर रिस्पौंस अच्छा है लेकिन फिर भी बकाया काफी है, इसलिए 30 सितम्बर तक यह छूट और दी जाती है तथा इसके बाद और छूट नहीं दी जाएगी ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और वे अपना टैक्स भर सकें।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैंने एनक्रोचमैंट और भ्रष्टाचार पर एडजर्नमैंट मोशन दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि मुझे उसका जवाब शाम 04.00 बजे उपलब्ध करवा दिया जायेगा। अब शाम के 05.10 हो चुके हैं लेकिन मुझे अभी तक मेरे द्वारा दिये गये एडजर्नमैंट मोशन का जवाब नहीं मिला है। क्या आप इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके एडजर्नमैंट मोशन के बारे में जैसे ही रिप्लाई आयेगा उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया जायेगा।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iii) दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्परेरी रिलीज) अमैंडमैन्ट बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सहकारिता एवं मुद्रण व लेखन सामग्री मंत्री हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे।

सहकारिता एवं मुद्रण व लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्री विक्रम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं -

कि हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज - 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज - 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सहकारिता एवं मुद्रण व लेखन सामग्री राज्य मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाये।

सहकारिता एवं मुद्रण व लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्री विक्रम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

कि विधेयक को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि विधेयक को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि विधेयक को पास किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(iv) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रैगुलेशन ऑफ सोसायटी (अमैंडमैन्ट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय मैं हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ

कि हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : स्पीकर सर, जब वर्ष 2012 में यह बिल बना था उस समय इसको बनाने के पीछे तत्कालीन सरकार की यह मंशा थी कि हरियाणा की जितनी भी बुनी हुई संस्थायें हैं जो लोगों के पैसे से बनी हुई हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से कब्जा किया जाये अर्थात पिछली सरकार इसी मंशा से वर्ष 2012 में यह विधेयक लाई थी। जब उस सरकार को जाट संस्थाओं के सीधे चुनावों में सफलता नहीं मिल पाई तो उन्होंने यह रास्ता निकाल कर कोलेजियम के माध्यम से सारी की सारी जाट संस्थाओं पर कब्जा किया चाहे ये जाट संस्थायें रोहतक की थी, हिसार की थी या फिर कैथल की थी और चाहे जींन्द की थी। सभी जाट संस्थाओं और अब तो जाट धर्मशाला में भी एक ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। अब या तो इस बिल को खत्म कर दिया जाये अन्यथा यही समझा जायेगा कि आप भी इन संस्थाओं पर चोर रास्ते से कब्जा करने के लिए यह कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई इमरजैंसी तो है नहीं। इसलिए इस बिल को सलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाये या हरियाणा विधान सभा की कोई कमेटी बना कर उसको रैफर कर दिया जाये और अगले सत्र में इसको फिर से पेश किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। पूरे प्रदेश में अलग-अलग समाजों की बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं। जिस प्रकार से जाट संस्था हिसार है, जाट संस्था कैथल है जिसमें हजारों की संख्या में सदस्य बने हुये हैं। जिन लोगों की इन संस्थाओं में आस्था है और केवल 300 आदमी कोलेजियम करके फैसला करेंगे तो वह गलत होगा। मेरा सुझाव यह है कि इनके खुले चुनाव होने चाहिएं और सभी सदस्य अपने वोट का इस्तेमाल करके संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे, वह बहुत अच्छा होगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि इसको सलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाये और इस पर विस्तृत चर्चा कर ली जाये। पिछली सरकार में जाट कॉलेज हिसार में एडमिनिस्ट्रेटर लगा कर चुने हुये जनप्रतिनिधियों को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से कैथल में भी किया गया है। कैथल का तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ पर पिछले कई सालों से चुनाव ही नहीं हो पाये हैं। एक बात और है कि अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर किसी आई.ए.एस. अधिकारी को लगा दिया जाये तो भी ठीक है लेकिन कैथल में तो किसी पार्टी कार्यकर्ता को ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा कर इतनी बड़ी संस्था सौंप दी गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कैथल में ऐडमिनिस्ट्रेटर न लगा कर वहाँ पर खुले चुनाव कराए जायें। अध्यक्ष महोदय, यही हाल जींन्द का भी है। एक तरफ तो जाटों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ ,जाट संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिये, बताओ हम अपनी लड़ाई कहाँ पर लड़ेंगे?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही निवेदन है कि इसको सलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये और इस पर खुल कर चर्चा होनी चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह सरकार ने पूरी तरह से विचार-विमर्श करके और सभी बातों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत किया है। वर्ष 2012 का जो कानून था उसमें कुछ खामियाँ महसूस की गई। हरियाणा प्रदेश में लगभग 98 हजार रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं और उनमें से 1000 से ज्यादा सदस्य वाली सोसाइटीज 100

[कैप्टन अभिमन्यु]

से भी कम हैं। ऐसे में जो सोसाइटी है उनको अपने रिकॉर्ड देने के लिए जितने भी रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं वे ए.जी.एम. के माध्यम से पास करने पड़ते हैं। ए.जी.एम. का जो कोरम है वह कहीं-कहीं तो कुल सदस्यता का 50 प्रतिशत तक है। ऐसी स्थिति में कानूनों का पालन करने में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने यह प्रस्ताव किया है कि जिन संस्थाओं की सदस्य संख्या 1 हजार तक है उनमें यह कोलेजियम लागू न हो और वह अपने स्तर पर अपनी सुविधा से जिस प्रकार की व्यवस्था वे बनाना चाहें वह बना कर अपना काम चला सकती हैं। इस प्रकार 100 से भी कम संस्था ऐसी रह जायेंगी जिन पर यह कानून लागू होगा। जाट संस्था कुरुक्षेत्र का विषय अलग है। उनमें से भी अधिकांशत: गवर्नमैंट ऐडिड हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं। पिछले दिनों इस प्रकार की शिकायतें आई भी जिनको लेकर सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। जो इस तरह की बेकायदगियाँ या अनियमितताएं हो रही हैं समाज के हित में वे न बढ़ें, उन संस्थाओं का दुरुपयोग न हो सके इसलिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ज्यादातर साथियों ने जो भावना व्यक्त की है, उनमें ज्यादातर का विषय क्रियान्वयन का है, सरकार की नीयत का है, सरकार की नीति का है। मैं सरकार की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की भी ऐसी ही भावना है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वे समाज द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों द्वारा ही चलाई जायें। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस बिल पर आगे कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज- 2

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2015 के खण्ड 2 में संशोधन संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ है। अब वित्त मंत्री इस क्लॉज पर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि खण्ड 2 में अन्तिम पंक्ति में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि खण्ड 2 में अन्तिम पंक्ति में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि खण्ड 2 में अन्तिम पंक्ति में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लाज- 2, यथासंशोधित, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज- 3

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2015 के खण्ड 3 में संशोधन संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ है। अब वित्त मंत्री इस क्लॉज पर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि खण्ड 3 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि खण्ड 3 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि खण्ड 3 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज- 3, यथासंशोधित, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज- 4

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2015 के खण्ड 4 में संशोधन संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ है। अब वित्त मंत्री इस क्लॉज पर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि खण्ड 4 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि खण्ड 4 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि खण्ड 4 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं "एक हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लाज-4, यथासंशोधित, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-5 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज- 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को, यथोसंशोधित पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि विधेयक को, यथोसंशोधित, पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक को, यथोसंशोधित, पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि विधेयक को, यथोसंशोधित, पास किया जाए।

प्रस्ताव, यथोसंशोधित, पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन सोमवार, दिनांक 7 सितंबर, 2015 दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*17.25 बजे (तत्पश्चात सदन सोमवार, 7 सितंबर, 2015 को दोपहर 2.30 बजे तक *स्थगित हुआ।)

53751—H.V.S.—H.G.P.,Chd.